निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्ति के लिये पात्रताः

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों या

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार हों या

(ग) महिला या बालक हों या

(घ) मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति हों या

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट के शिकार हों या

(च) औद्योगिक श्रमिक हों या

(छ) कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति हों या

(ज) हिजड़ा समुदाय से सम्बन्धित हों या

(झ) ऐसे व्यक्ति जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000/– (एक लाख) रूपये से कम हो या

(ञ) वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो और आय दो लाख से कम हो या

(त) एच आई वी या एड्स से पीड़ित हों।

मुफ्त कानूनी सहायता के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएंः

(क) सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना।

(ख) न्याय शुल्क (Court Fee) देना।

(ग) टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना।

(घ) गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च।

(ङ) मुकद्दमों से संबन्धित अन्य खर्च देना।

(च) मुफ्त कानूनी सेवा में किसी मुकद्दमें में कानूनी सलाह प्राप्त करना।

विधिक सेवा कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं:

(क) उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से

(ख) उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से

(ग) जिला स्तर पर जिला के अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(घ) उप–मण्डल स्तर पर उप–मण्डल के अध्यक्ष (सिविल जज), उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति

विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति सादे कागज़ पर उपरोक्त लिखित से सम्पर्क कर सकते हैं। अगर आवेदनकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आमदनी एक लाख रूपये से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र या आय की घोषणा लगाना जरूरी है और अगर आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे अपने आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

दूरभाष / फैक्स: 01892--222370

टोल फ्री: 15100

ई मेल: secydlsa-kan-hp@gov.in